संख्या-367/2023/1438/41-2023-26(बजट)/2021

प्रेषक,

रामेश्वर सिंह,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
पर्यटन,
उत्तर प्रदेश।

पर्यटन अनुभाग लखनऊ :: दिनांक 20 अप्रैल, 2023

विषय-: जनपद बलिया के विधान सभा क्षेत्र फेंफना के वि0ख0-गड़वार में बीका भगत का पोखरा स्थल रतसर कोला का पर्यटन विकास परियोजना को निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशक, पर्यटन के पत्र संख्या-7816/मु0म0प0सं0यो0/(22)/2022, दिनांक 19.01.2023 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से प्रश्नगत परियोजना को निरस्त किये जाने हेतु आवश्यक कार्यवाही करने का अनुरोध किया गया है।

2- अवगत कराना है कि मुख्यमंत्री पर्यटन संवर्धन योजना के अन्तर्गत 04 अन्य योजनाओं के साथ जनपद बलिया के विधान सभा क्षेत्र फेंफना के वि0ख0-गड़वार में बीका भगत का पोखरा स्थल रतसर कोला का पर्यटन विकास हेतु सी0 एण्ड डी0एस0, उ0प्र0 जल निगम को कार्यदायी संस्था नामित करते हुए पर्यटन अनुभाग के शासनादेश संख्या-99/2021/275/ 41-2021-26(बजट)/2021, दिनांक 04.02.2021 द्वारा धनराशि रू0 48.30 लाख (जी0एस0टी0 सहित) की प्रशासकीय स्वीकृति एवं प्रथम किश्त के रूप में रू0 24.15 लाख की वित्तीय स्वीकृति निर्गत की गयी।

3 - अतः इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सम्यक विचारोपरांत शासन द्वारा जनपद बलिया के विधान सभा क्षेत्र फेंफना के वि0ख0-गड़वार में बीका भगत का पोखरा स्थल रतसर कोला का पर्यटन विकास परियोजना को एतद्द्वारा निरस्त किये जाने की श्री राज्यपाल स्वीकृति प्रदान करते हैं।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

-3 उक्त के अतिरिक्त मुझे यह भी कहने का निदेश हुआ है कि परियोजना हेतु अवमुक्त की गयी धनराशि रू0 24.15 लाख को ब्याज सहित राजकोष में जमा कराते हुए सप्ताह के 01 अन्दर सूचना शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(रामेश्वर सिंह)
अनु सचिव।

संख्या व दिनांक तदैव

प्रतिलिपि-: क कार्यवाही हेतु प्रेषितलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यनिम्न-

1. प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
2. महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
3. मुख्य कोषाधिकारी,जवाहर भवन लखनऊ।
4. जिलाधिकारी, बलिया।
5. प्रबन्ध निदेशक, सी0 एण्ड डी0एस0, उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ।
6. वित्त नियंत्रक, पर्यटन निदेशालय, लखनऊ।
7. निदेशक, पर्यटन उ0प्र0, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि कृपया क्रमांक-3, 4, 5, 6, 8 व 9 को अपने स्तर से आदेश की प्रति प्रेषित करने का कष्ट करें।
8. परियोजना प्रबन्धक, सी0 एण्ड डी0एस0, उ0प्र0 जल निगम, यूनिट-3, आजमगढ़।
9. क्षेत्रीय पर्यटक अधिकारी, गोरखपुर/आजमगढ़ मण्डल।
10. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7
11. गार्ड-फाइल।

आज्ञा से,

(रामेश्वर सिंह)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।